तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील डिक्री/टीए/487/2005/कोटा मूलचन्द बनाम सरकार व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
02-02-21	**खण्डपीठ** **श्री रामनिवास जाट, सदस्य** **श्री सतीश चन्द गोदारा, सदस्य** **<u>उपस्थित</u>** श्री सुरेन्द्र महेश्वरी, अधिवक्ता अपीलांट्स के। श्रीमती पूनम माथुर, अति0 राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 । श्री जे0के0पारीक, अधिवक्ता रेस्पो0 **<u>निर्णय</u>** अपीलांट ने यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के अन्तर्गत न्यायायल राजस्व अपील अधिकारी, कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28–12–2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि तहसीलदार, लाडपुरा ने अधिनियम की धारा 175 के अंतर्गत परीक्षण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटा के समक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 175 अधिनियम का इस आशय का प्रस्तुत किया कि अपील मीमों में अंकित विवादित आराजी रेस्पो0 संख्या 2 ता 4 के पिता गंगा पुत्र देवा जाति भील के खाते की भूमि थी। जिसे गंगा द्वारा अपीलांट मूलचन्द को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 16.5.73 बेचान कर दी गयी। गंगा अनुसूचित जनजाति का सदस्य है तथा अपीलांट खरीददार स्वर्ण जाति का सदस्य है। इस प्रकार उक्त बेचान धारा 42 अधिनियम का स्पष्ट उल्लघंन है। अतः विवादित आराजी को सिवचायचक घोषित किया जावे। परीक्षा न्यायालय ने उभयपक्ष को सुनकर अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 31.05.2003 के द्वारा धारा 175 अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुये विवादित आराजी को सिवायचक दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये। परीक्षण न्यायालय के उक्त आदेश से ग्रसित होकर अपीलांट ने अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की। जिसे अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 28.12.04 से अपीलांट की उक्त	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील डिक्री/टीए/487/2005/कोटा मूलचन्द बनाम सरकार व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अपील को खारिज करते हुये परीक्षण न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 31.05.03 यथावत रख दिया। अपीलीय न्यायालय के उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 28.12.04 से ग्रसित होकर यह द्वितीय अपील मंडल में प्रस्तुत की गयी है। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को अपील पर सुना गया। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि विवादित आराजी गंगा द्वारा अपीलांट को करीब 40 वर्ष पूर्व बेचान कर दी थी तब से ही अपीलांट का कब्जा चला आ रहा हैं। उक्त बेचान जरिय रजिस्टर्ड पंजीकृत बेचान द्वारा दिनांक 16.5.73 को किया गया। वर्तमान में अपीलांट का ही कब्जा काश्त चला आ रहा है गंगा के पुत्रों का उक्त आराजी में कोई हस्तक्षेप नहीं है। विद्वान अभिभाषक ने आगे तर्क दिया कि परीक्षण न्यायालय में धारा 175 अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की कार्यवाही दावे के अनुसार की जानी चाहिए थी परन्तु परीक्षण न्यायालय ने पक्षकारान की जबावदेही के अनुसार तनकीयात कायम किये बिना ही तथा साक्ष्य लिये बिना ही निर्णय व डिक्री पारित कर दिया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त के विपरीत है। अपीलीय न्यायालय ने भी अपने मस्तिष्क का उपयोग किये बिना परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को यथावत रख दिया जो विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। बहस के अंत में विद्वान अभिभाषक ने 2006 आर0आर0टी0 (1) पेज 383, 2014 ए0आई0आर0 (एस0सी0) पेज 3070 व 1982 आर0आर0डी0 पेज 46 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत करते हुये अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया। विद्वान अभिभाषक ने रेस्पो0 ने अपनी बहस में तर्क दिया कि विवादित आराजी जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 16.5.73 को रेस्पो0 2 ता 4 के पिता गंगा भील द्वारा	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील डिक्री/टीए/487/2005/कोटा मूलचन्द बनाम सरकार व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अपीलांट को बेचान की गयी थी। यहां यह स्पष्ट है कि गंगा जाति से भील है जो अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति है जबकि अपीलांट वह स्वर्ण जाति का व्यक्ति है। उक्त हस्तांतरण में धारा 42 को स्पष्ट उल्लंघन है। इसके अनुसार अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की आराजी पर स्वर्ण जाति के व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते है। अतः अपीलांट को बेदखल कर भूमि को सिवायचक दर्ज किया जावे। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय व डिक्री विधिसम्मत है। बहस के अंत में विद्वान अभिभाषक ने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने का निवेदन किया। उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड व प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का गहनता से अवलोकन किया। पत्रावली का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, कोटा ने अपने निर्णय के पैरा संख्या 6 व 7 में अंकित किया है कि– ‘‘ वादग्रस्त भूमि खतौनी संख्या 85 भू प्रबन्ध विभाग संवत 38–57 में बिरधा वल्द गंगा, पाना, ज्याना पुत्रियां गंगा जाति भील खाते में दर्ज है। वादग्रस्त भूमि के नये पुराने खसरा मिलान खसरा से विदित होते है। वादग्रस्त भूमि संवत 2032–35 में पुराने खसरा नंबर के रूप में गंगा पुत्र देवा के खाते में दर्ज थीजो म्यूटेशन संख्या 161 से रेस्पो0 संख्या 2, 3 व 4 के खाते में दर्ज की गयी यह नोट अंकित है। पंजीकृत बेचाननामा दिनांक 16.5.73 की सत्य प्रतिलिपि परीक्षण न्यायालय की पत्रावली में है जिससे विदित होता है कि वादग्रस्त भूमि को गंगा वल्द देवा ने अपीलांट को 600/– रूपये के प्रतिफल में विक्रय किया था। प्रस्तुत दस्तावेजात यह विदित होता है कि वादग्रस्त भूमि के मूल खातेदारी की जाति भील जो की अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत है जबकि	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील डिक्री/टीए/487/2005/कोटा मूलचन्द बनाम सरकार व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अपीलांट की जाति जैन महाजन जो की सामान्य जाति है। वादग्रस्त भूमि मूलतः गंगा जाति भील (अनुसूचित जनजाति) के खाते की भूमि थी जिसका विक्रय पंजीकृत दस्तावेज दिनांक 16.05.73 के द्वारा अपीलांट को जो सवर्ण जाति का है को किया गया था। इस प्रकार प्रकरण में अधिनियम की धारा 42 ख का उल्लंघन होना स्पष्ट विदित होता है। पंजीकृत दस्तावेज दिनांक 16.5.73 का है इस कारण इस प्रकरण में मियाद की गणना दिनांक 17.5.73 से आरम्भ होगी। तहसीलदार लाडपुरा ने यह कार्यवाही परीक्षण न्यायालय में दिनांक 04.01.02 को प्रस्तुत कर दी थी जो अन्दर मियाद है। अतः अपीलांट का मियाद का उज्र मान्य नहीं है क्योंकि विभिन्न राजस्व निर्णयों में यह स्पष्ट हो चुका है कि मियाद की गणना विक्रयनामे के पंजीयन की दिनांक से ही आरम्भ होगी। पूर्व में चले प्रकरा मिसल संख्या 328/86 एवं मिसल संख्या 237 में पारित निर्णय क्रमश दिनांक 23. 9.86 व 28.5.94 जिनकी फोटा कापी परीक्षण न्यायालय की पत्रावली में है, अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किये गये थे। जिनका इस कार्यवाही में कोई प्रभाव नहीं माना जा सकता है।'' इस प्रकार इस अपील के उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि इस प्रकरण में मुख्य विवाद का विषय अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति से सवर्ण जाति के व्यक्ति को भूमि का हस्तांतरण किये जाने और वह हस्तांतरण कब से प्रभावी माने जाने के महत्वपूर्ण बिन्दु से सबंधित है। अपीलांट का इस सबंध में मुख्य विधिक आधार उन्हें परीक्षण न्यायालय में समुचित साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान नहीं करने के उपर आधारित है। धारा 175 अधिनियम की कार्यवाही में प्रतिवादीगण द्वारा जबाव प्रस्तुत किया गया है। धारा 175 (4) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रावधान इस	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील डिक्री/टीए/487/2005/कोटा मूलचन्द बनाम सरकार व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रकार है– " If appearance is made with the time specified in the notice and the liability to ejectment is contested, the court shall, on payment of the proper court fees, treat the application to be a suit and proceed with the case as a suit: Provided that in the event of the application having been made by a tehsildar in respect of land held directly from the State Government no court fees shall be payable." इस संबध में अपीलांट के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत विधिक नजीरों के आधार पर भी इस प्रकरण को वाद की तरह परीक्षण कर तनकी बनाकर उभयपक्षों की साक्ष्य लेकर ही निर्णय किये जाने की विधिक स्थिति की पुष्टि होती है। उनके द्वारा परीक्षण न्यायालय में धारा 175 अधिनियम की कार्यवाही में जब जबाव प्रस्तुत किया गया था तो परीक्षण न्यायालय को इसे एक दावे की तरह कार्यवाही करते हुये तनकीयां बनाकर उभयपक्षों को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर देते हुये तनकीवार निर्णय पारित किया जाना चाहिए था। यद्यपि यहां यह उल्लेखनीय है कि इस प्रकार की सुनवाई से विधिक प्रावधानों में किसी प्रकार का परिर्वतन नहीं किया जा सकता है तथापि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर प्रभावित पक्षकार को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाना पूर्णतया अपेक्षित व विधिक आवश्यकता होती है। परिणामतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक स्वीकार योग्य होने से आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, कोटा द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28.12.04 और परीक्षण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटा द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 31.05.2003 अपास्त किये जाते है। प्रकरण मूल ही परीक्षण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह इस प्रकरण के सभी संबधित पक्षकारों को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुये तनकीयात कायम	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील डिक्री/टीए/487/2005/कोटा मूलचन्द बनाम सरकार व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	की जाकर तनकीवार विधि अनुसार निर्णय पारित करे। उभयपक्ष परीक्षण न्यायालय के समक्ष दिनांक..... को उपस्थित होवें। प्रकरण काफी पुराना हो चुका है इसलिए परीक्षण न्यायालय के पीठासीन अधिकारी को आदेशित किया जाता है कि वह प्रकरणम में दिन–प्रतिदिन की तारीख नियत कर प्रकरण का शीघ्रताशीध निस्तारण करें। निर्णय प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे। पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(सतीश चन्द गोदारा)** **सदस्य** **(रामनिवास जाट)** **सदस्य**	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील डिक्री/टीए/487/2005/कोटा मूलचन्द बनाम सरकार व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए